

## Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ त्रिव डाक)

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: 8126 :MCDR-MiFL0GEN/21/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: 24 /01 /2024

प्रेषित: मै. सीमा मिनरल्स एंड मेटल्स  
203 ए, मेवाड इंडस्ट्रीयल एरिया,  
रोड नं 11/एफ, मादडी,  
उदयपुर-3130003  
ईमेल:(seemamineral@hotmail.com)

विषय : राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी साजित सिलीसियश अर्थ खान क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन ।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 20/07/2023 by undersign in presence of Shri Radheyshyam Paliwal, Mining Engineer of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
<b>11(1)</b>	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review Mining Plan approved on 19/03/2021 to the extent given below for the year 2022-23: It was proposed to mine out 2443 tones of ROM from the mine during the year 2022-23. But the quantity of ROM excavated during the year is only 124 tones, which is much below the proposed ROM production.
<b>55(3)</b>	Mining operations have been carried out without appointment of Geologist.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ)  
सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला- जैसलमेर।
4. रक्षित पत्रावली ।

सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर